



हर नवम्बर और दिसम्बर में हजारों ध्रुवीय सी बर्ड्स एंटार्क्टिका में जमीन पर अण्डे देती हैं, क्योंकि तब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू हो जाती है। बच्चे बाहर आने तक वो बड़ी कर्तव्यनिष्ठा से अंडों की रक्षा करती हैं। फरवरी और मार्च तक बच्चे इतने बड़े और मजबूत हो जाते हैं कि उड़ान भरने लगते हैं। एंटार्क्टिक पेंट्रल, स्नोपेंट्रल और साउथ पोलर स्क्रूआ जैसे पक्षियों का यह सामान्य टाइम टेबल है। लेकिन 2021-22 के दौरान ब्रीडिंग सीजन में एंटार्क्टिक के एक बड़े क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। गत दिनों करंट बायोलॉजी में छपे एक नए शोध पत्र के अनुसार, दिसम्बर 2021 और जनवरी 2022 में ड्रॉनिंग मॉड लैंड में बर्फाले तूफान आए। नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र वाला यह भाग एंटार्क्टिका का छठा हिस्सा है। इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो गई कि, पक्षियों को अण्डे देने के लिए जमीन ही नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि, तीन प्रजातियों ने गत वर्ष इस क्षेत्र में प्रजनन नहीं किया। पहाड़ी प्रजनन क्षेत्रों, स्वार्थगारेन और स्टाटलसैन क्षेत्रों में जहाँ हजारों घोंसले दिखाई देते थे, वहीं, इस बार एंटार्क्टिक पेंट्रल के तीन और स्नोपेंट्रल के थोड़े बहुत घोंसले ही दिखे और साउथ पोलर स्क्रूआ का तो एक भी घोंसला नहीं मिला। क्योंकि, शोधकर्तों को एक भी मृत चूजा नहीं मिला, सिर्फ खाली घोंसले ही मिले, इसलिए वैज्ञानिकों को संदेह है कि, पक्षियों ने कठिन हालात की वजह से प्रजनन करने का प्रयास तक नहीं किया और वैसे ही लौट गए। इन तीन सी बर्ड प्रजातियों के अलावा कई अन्य सी बर्ड्स अपने जीवन का अधिकांश भाग समुद्र पर उड़ते हुए ही गुजार देती हैं, सिर्फ प्रजनन के लिए जमीन पर आती हैं। शोध के सहलेखक, नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के हैरल्ड स्टीन ने कहा कि, चिड़ियां इन हालात की आदि हैं और इसका सामना कर सकती हैं, पर अगर प्रजनन नहीं कर पाने जैसे हालात बार-बार बने तो भविष्य में इनकी बस्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। यद्यपि तूफान की वजह से कई अण्डे व चूजे गायब हो जाते हैं पर समूची सी बर्ड कॉलोनी प्रजनन ही ना करे यह बात बेहद अजीब है। इन समुद्री तूफानों के लिए इंसान की वजह से जलवायु में आ रहे बदलाव को दोषी ठहराया जा सकता है। तापमान बढ़ने से एंटार्क्टिका में बर्फाले तूफानों की संभावना बढ़ जाती है।

## पत्रकार के साथ बातचीत का टेप ले बैठा वित्त मंत्री का वित्त विभाग

—लक्ष्मण बैंकट कुची—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 मई। तमिलनाडु की दो वर्ष पुरानी एम.के. स्टालिन सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक चलता दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के अंदरूनी मामलों सरकार के कामकाज पर अपना असर डाल रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्री

- तमिलनाडु के निवर्तमान वित्त मंत्री ने एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा था कि, डी.एम.के. की सरकार में मु.मंत्री के पुत्र व दामाद ने भारी धन एकत्रित किया है और पार्टी का संगठन काफी कमजोर है।
- निवर्तमान वित्त मंत्री वैसे काफी ईमानदार व कुशल प्रशासक माने जाते थे तथा उनसे वित्त विभाग छिन लेना काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है।

आदरणीय भी प्रस्तुत किये हैं। स्टालिन ने व्यक्तिगत रूप से इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को खारिज किया तथा मीडियाकार्मियों को बताया कि वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दे दिया था तथा यह मामला वहीं खत्म हो गया था।

लेकिन इसी बीच, जब विपक्षी भाजपा से जुड़े लोगों ने यह ऑडियो फाइलस सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तभी से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वित्त मंत्री इस मंत्रालय से हटायें जा सकते हैं। उन्हें हटायें जाने का कारण यह ऑडियो फाइल ही नहीं है, पार्टी के अंदर ऐसी खदबदाहट भी थी कि वित्त मंत्री पार्टी के कार्यकर्तों के निवेदनों की भी उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि वे “नियमों की कितना का पालन करते हैं।” गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा किये गये मंत्रिमंडल के बड़े फेरबदल के अन्तर्गत, उन्हें वित्त मंत्रालय से हटा दिये जाने का एक कारण पार्टी के अंदर से (शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है?  
**कान की मशीनें**  
**स्पीच थेरेपी**  
**फ्री सुनाई की जाँच**  
CALL FOR APPOINTMENT  
**+91 94602 07080**  
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS  
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR  
www.perfecthearingsolutions.com

जयपुर बम ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस दिया

जयपुर, 12 मई (का.सं.)। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर शहर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बरी हुए आरोपियों और राज्य सरकार से 17 मई तक जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओका व राजेश बिंदल को खंडपीठ ने यह आदेश बम

- सुप्रीम कोर्ट ने ब्लास्ट में मारे गए एक व्यक्ति की विधवा, राजेश्वरी देवी व अन्य की स्पेशल लीव पिटिशन को मंजूर कर लिया और राज्य सरकार के साथ-साथ बम धमाकों के आरोप से बरी हुए आरोपियों को भी नोटिस भेजे।

ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की विधवा राजेश्वरी देवी व अन्य की विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पिटिशन) अर्थात एस.एल.पी. को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए दिए। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को (शेष पृष्ठ 5 पर)

## ‘वसुंधरा राजे के करफ़ान की जांच की बात उठाना अनुशासनहीनता कैसे हुआ?’

सचिन पायलट ने यह भी कहा, अनुशासन तोड़ने का काम तो 25 सितम्बर को किया गया, जब सोनिया गांधी के स्पष्ट आदेश के बाद मुख्यमंत्री निवास पर बैठक नहीं हो पाई

- जन संघर्ष यात्रा की इजाजत नहीं लेने के मुद्दे पर पायलट ने कहा, पार्टी का काम करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं होती।
- पायलट ने कहा, इतिहास में पहली बार हुआ, जब कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश पर आए पर्यवेक्षकों की बेइज्जती की गई, उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया।
- कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर पायलट ने कहा, आपस में अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुपा-खुपी का खेल नहीं खेलता, डबल मीनिंग बात नहीं बोलता, जो भी कहता या करता हूँ सबके सामने होता है।

कह रहा है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी का काम करने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं होती है। मैंने जो मुद्दे उठाए हैं वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने, गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं के साथ मीटिंग के बाद खड्गे को एक रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। बताया जा रहा है कि, 13 मई को कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद खड्गे दिल्ली लौटेंगे और उसके बाद रंधावा उन्हें सारे मामले की रिपोर्ट देंगे। (शेष पृष्ठ 5 पर)

## पायलट को कमजोर दिखाने का प्लान सफल नहीं हो पाया दिल्ली में

रंधावा ने इस प्लान के अंतर्गत कांग्रेस के नव नियुक्त सहप्रभारियों व प्रदेशाध्यक्ष की मीटिंग आयोजित की थी, पायलट की पद यात्रा के ठीक बीच में

- मैसेज यह देना चाहते थे कि, पायलट की पद यात्रा को मुद्दा बनाकर, कुछ कार्यवाही होगी।
- पर, दिल्ली में इस प्लान को हाई कमान का समर्थन नहीं मिला और रंधावा को भी पद यात्रा के बारे में कमजोर सी टिप्पणी देनी पड़ी कि, यह पायलट की निजी यात्रा है।
- इस कमजोर टिप्पणी से यह तो साबित जरूर हुआ कि, रंधावा को न तो अधिकार है और न ही रूतबा कि, पायलट के भविष्य के बारे में कुछ निर्णय ले सकें।
- यह सच है कि, पार्टी का एक खेमा, जिसमें गल्लोट समर्थकों का बोल-बाला है, दबाव बना रहा है कि, पायलट को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाये।
- पर, इतना ही मजबूत और बड़ा दूसरा खेमा भी है, जो पुरजोर ढंग से कह रहा है कि, पायलट का निष्कासन पार्टी की भारी भूल होगी और पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा।
- गांधी परिवार भी गल्लोट विरोधी है तथा नहीं चाहता पायलट के खिलाफ कोई कार्यवाही हो।

—नेणु मित्तल—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 मई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के महासचिव और राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गल्लोट की तरफ से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने सचिन पायलट को भ्रष्टाचार विरोध यात्रा के बीच तीनों सचिवों व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की दिल्ली में बैठक बुलाई है, ने यात्रा के बारे में पूछे जाने पर बेहद हल्की प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि यह उनकी निजी यात्रा है। रंधावा ने कहा, “वो ये यात्रा खुद ही निकाल रहे हैं, यह उनकी निजी यात्रा है।” उन्होंने यह भी कहा कि वे यात्रा पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं।

रंधावा ने कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे कर्नाटक से लौट आएंगे तो वे उनसे मिलेंगे और राजस्थान के हालात पर उनके साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ खड्गे जी को ही अपने सुझाव देंगे

- भाजपा ने 13 अप्रैल को पीड़ितों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया, अब 17 मई को सुनवाई होगी।

विरुद्ध राजस्थान सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं किये जाने के पश्चात्, 13 अप्रैल को राजेश्वरी देवी धर्मपत्नी स्व. ताराचंद सैनी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में अपील संख्या 15701/2023 दायर (शेष पृष्ठ 5 पर)

मोडिया को नहीं। मीटिंग में हालांकि राजस्थान के आगामी चुनावों की तैयारी पर जमीन पर पार्टी को मजबूत बनाने और जिलाध्यक्षों व अन्य की नियुक्ति तथा सचिवों के कार्य वितरण पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मदद के लिए अन्य पर्यवेक्षक

भी नियुक्त किए जाएंगे। सुर्जों का कहना है मीटिंग का उद्देश्य यह संदेश देना था कि सचिन पायलट के खिलाफ गंभीर मंथन चल रहा है जबकि रोचक बात यह है कि रंधावा को सचिन पायलट के भविष्य पर कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है ना ही

उनका इतना बड़ा राजनैतिक कद है। अशोक गल्लोट ए.आई.सी.सी. और दिल्ली में बैठे लोगों के जरिए पायलट के पार्टी से निलम्बन पर जोर दे रहे हैं पर अभी तक उनके प्रयास रंग नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि खुद रंधावा भी इतना (शेष पृष्ठ 5 पर)

## एक से अधिक पत्नी रखने के विरुद्ध कानून लायेगी असम सरकार

असम के मु.मंत्री ने चार सदस्यीय विशेषज्ञों की समिति गठित की है, इस मकसद की पूर्ती के लिये

- एक अन्य भाजपा शासित राज्य, उत्तराखण्ड ने भी ऐसे ही विशेषज्ञों की समिति गठित करने की घोषणा की है।
- भाजपा देश में युनीफॉर्म सिविल कोड लागू करने के अपने चिंतन को मूर्त रूप देने के लिये एक से ज्यादा पत्नी रखने की मुस्लिम समाज की परम्परा को प्रतिबंधित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिये काफी गंभीरता से कदम बढ़ा रही है।

—श्रीनंद झा—  
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—  
नई दिल्ली, 12 मई। मंगलवार को अविवेकपूर्ण संकेत देने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आज राज्य में बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाने की योजनाओं की तरफ कदम बढ़ा दिये। उन्होंने एक चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है जो इस प्रकार का कानून बनाने की राज्य विधानसभा की सक्षमता का परीक्षण करेगी।

यह योजना देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के प्रति भाजपा के जाने-माने झुकाव के साथ मेल खाती दिखाई दे रही है तथा इस अभियान को अल्पसंख्यक

मुस्लिमों के खिलाफ निर्देशित अभियान के रूप में लिया जा रहा है। असम के अतिरिक्त, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ऐसी एक अन्य भाजपा शासित सरकार है जिससे बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाये जाने पर विचार करने के लिये एक कमेटी किये जाने की योजना

की घोषणा कर दी है। इस प्रकार की रोक के लिये राज्यों को अधिकार है या नहीं, इस दिशा में असम सरकार की यह पहल का, भाजपा के समान नागरिक संहिता के अभियान तथा भगवा पार्टी को इसका राजनैतिक (शेष पृष्ठ 5 पर)

सांसद बोहरा ने की राज्यपाल से मुलाकात

जयपुर, 12 मई (का.सं.)। सांसद रामचरण बोहरा ने शुरुवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर एम.एल.ए. क्वार्टर्स की बेशकीमती भूमि को वक्फ बोर्ड द्वारा हथियाने के प्रयास के बारे में विस्तृत ज्ञापन दिया। सांसद बोहरा ने राज्यपाल से इस मुद्दे पर

- सांसद राम चरण बोहरा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर एम.एल.ए. क्वार्टर्स की बेशकीमती सरकारी जमीन को वक्फ बोर्ड द्वारा हथियाने के प्रयास पर विस्तृत ज्ञापन दिया और राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया।

तुरंत कार्यवाही करवाने के लिये निवेदन किया। बोहरा ने बताया कि जयपुर शहर में एम.एल.ए. क्वार्टर्स की भूमि पर राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा अवैधानिक रूप से हक जताने का प्रयास करते हुए (शेष पृष्ठ 5 पर)



पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा के दूसरे दिन अजमेर रोड के बांदर सिंदरी क्षेत्र में चलते-चलते ही प्रैस वार्ता की। उन्होंने इस मौके पर कहा, वसुंधरा राजे के करफ़ान की जांच की बात उठाना पार्टी के लिए अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है?